निविदाकारों तथा निविदा शर्तों के वर्तमान अनुदेशों में निविदाकारों के लिए अतिरिक्त अनुदेशों का समावेश

1. **भुगतान की शर्तें :-**

फार्म सं. क्रभनि पी-12 एवं क्रभनि पी-11 में दिए गए क्रेता की मानक भुगतान शर्तें (अर्थात संविदा की सामान्य शर्तें तथा संयत्र एवं मशीनरी की आपूर्तियों को नियंत्रित करने वाली संविदा की विशिष्ट शर्तें) क्रेता द्वारा भंडार की प्राप्ति तथा स्वीकृति के पश्चात संपूर्ण भुगतान से संबंधित है । यदि कोई निविदाकार सामग्री/ माल की सुपुर्दगी के पहले ही अग्रिम भुगतान करना चाहे तो केवल अधिक मूल्य के मदों के मामलों में ही ऐसे अनुरोध पर विचार किया जाएगा. निविदाकार को संविदा के निष्पादन की वैधता तक उस रकम के अग्रिम भुगतान के रुप में बैंक गारंटी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा । बैंक गारंटी किसी भी राष्ट्रीयकृत/ अनुसूचित बैंक से क्रेता के प्रोफार्मा के अनुसार निष्पादित की जाएगी

इसके अलावा निविदाकर्ता जो अग्रिम भुगतान के लिए प्रस्ताव चाहते है, उनके लिए उद्धृत की गई सुपुर्दगी अवधि तक लोडिंग चार्ज पर 12% ब्याज लगेगा । यदि आपूर्ति की जाने वाली भंडार सामग्री के लिए निविदा कोट यथा अनुपात भुगतान का मामला हो तो निविदाकार को उनके प्रस्ताव में आपूर्ति की किश्तों की अधिकतम संख्या का स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए ।

2. **संस्थापन तथा प्रचालन :-**

क) जब भी निविदाकर्ता द्वारा उपकरण के संस्थापन तथा प्रचालन अथवा इसके लिए पर्यवेक्षण हेतु निविदा के प्रति क्रेता का ध्यान आकर्षित किया जाता है तो निविदाकर्ता को भंडार की आपूर्ति का मूल्य तथा प्रभार एवं संचालन/ प्रचालन अथवा इसके पर्यवेक्षण की शर्तों को अलग से और स्पष्ट रुप से उद्धृत करना चाहिए । संस्थापन तथा प्रचालन के प्रभारों को भंडार के मूल्य में शामिल नहीं करना चाहिए ।

ख) वे संविदाएं जिनमें विदेशी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा संस्थापन तथा प्रचालन सम्मिलित है, उनके लिए निविदाकर्ता द्वारा अभिज्ञेय प्रभारों को उद्धृत किया जाता है, उन्हें भारत के आयकर-अधिनियम के तहत आयकर देयता लागू होगी जो वर्तमान में संस्थापन तथा प्रचालन प्रभार का 20% है ।

3. **निष्पादन बॉन्ड बैंक गारंटी :-**

संयंत्र, मशीनरी, उपकरण इत्यादि से संबंधित प्रस्ताव की स्वीकृति के मामले में, निविदाकर्ता को वारंटी अवधि के दौरान संयंत्र, मशीनरी, उपकरण के संतोषजनक निष्पादन के प्रति क्रेता के प्रोफार्मा के अनुसार वारंटी अवधि की वैधता तक उचित मूल्य के गैर न्यायिक स्टैंप पेपर पर राष्ट्रीयकृत/ अनुसूचित बैंक से संविदा के मूल्य का 10% निष्पादन बांड बैंक गारंटी प्रस्तुत करना चाहिए, संविदाकर्ता द्वारा निष्पादन बांड बैंक गारंटी को प्रस्तुत न करने पर संविदा के संपूर्ण मूल्य के 10% के बराबर की राशि भंडार की वारंटी अवधि की वैधता तक सुरक्षित रखी जाएगी । जिन निविदाकर्ताओं के प्रस्ताव ऐसी निष्पादन बांड बैंक गारंटी देने या 10% आदेश मूल्य को रखने से सहमत नहीं है उन्हें अस्वीकृत किया जाएगा ।

4. **उत्पाद शुल्क ड्यूटी :-**

दिनांक 01.03.1997 की अधिसूचना संख्या 10/97- उत्पाद शुल्क के तहत परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन अनुसंधान संस्थानों के लिए उत्पाद शुल्क छूट के अधीन क्रय किया जाता है। आदेश जारी करने के पश्चात तथा सामग्री के प्रेषण से पहले क्रेता द्वारा आवश्यक उत्पाद शुल्क छूट प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

चूंकि यह निदेशालय परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन औद्योगिक इकाइयों तथा अनुसंधान संस्थानों के लिए क्रय का कार्य करता है, बोली लगाने वालों को उद्धृत किए गए मूल्य में उत्पाद शुल्क शामिल नहीं करना चाहिए, ऐसा करने पर उनके लिए असुविधाजनक अथवा प्रतिकूल परिस्थितियाँ निर्मित हो सकती है । तथापि लागू होने वाले उत्पाद शुल्क की प्रतिशत क्वांटम हो तो अलग से उद्धृत करें.

उत्पाद शुल्क छूट प्रमाणपत्र केवल उसी कांट्रैक्टर को जारी किया जाएगा जिसने अंतिम उत्पाद के लिए क्रय आदेश प्रस्तुत किया है और किसी तीसरी पार्टी को यह प्रमाणपत्र नहीं दिया जाएगा । तथापि मूल उपकरण उत्पादकर्ता के

सोलसेलिंग एजेंट से दस्तावेजी प्रमाणों सहित प्रस्ताव प्राप्त होने के मामले से संबंधित मूल उपकरण उत्पादकर्ता को छूट प्रमाणपत्र जारी किया जा सकता है बशर्तें, ऐसा अनुरोध मूल प्रस्ताव में किया गया हो ।

यदि निविदाकर्ता ने मूल्य उद्धृत करते समय सीईनवीएटी रियायत का ध्यान रखा हो तो इस बात को भी निविदा में स्पष्ट रूप से सूचित किया जाना चाहिए । ऐसा न करने पर आखिरी तारीख को सीईनवीएटी रियायत के लिए क्रेता के अनुरोध पर गौर नही किया जाएगा ।

परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत औद्योगिक एककों से प्राप्ति की माँग/ आवश्यकताओं से संबंधित जहाँ भी उत्पाद शुल्क देय है, मूल क्रेता के इन्वॉईस / इन्वॉईस कम-चालन की प्रति जो कंपनी के प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित है और सरकार के देय उत्पाद शुल्क से संबंधित यथावत विवरण प्रस्तुत करने पर उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति होगी ।

5. **सीमा शुल्क ड्यूटी**

परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत अनुसंधान संस्थानों के लिए खरीद के संबंध में सीमाशुल्क ड्यूटी रियायत को पाने के लिए समुचित प्राधिकारी से आवश्यक प्रमाण-पत्र क्रेता प्राप्त करेगा । वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा जारी दिनांक 23.07.1996 की सीमा-शुल्क अधिसूचना सं.: 51/97-सीमाशुल्क के दिनांक 01.03.2002 की संशोधित संख्या : 24/2002 - सीमाशुल्क के अनुसार, क्रेता 5% की रियायत दर पर सीमा-शुल्क ड्यूटी के निर्धारण के लिए हकदार है ।

चूंकि परमाणु ऊर्जा विभाग अनुसंधान संस्थान और औद्योगिक एकक, दोनों के लिए यह निदेशालय क्रय मामलों का निपटारा करता है, यदि भारतीय आपूर्तिकर्ता/ एजेंट आयातित भंडार की आपूर्ति के लिए भारतीय रुपयों में प्रस्ताव प्रस्तुत करता है तो वह मूल्य को सेल आन हाई-सीज के लिए अर्थात सीआईएफ पोर्ट के गंतव्य स्थान (सीआईएफ मुंबई, सीआईएफ चेन्नै आदि) के लिए मूल्य को उद्धृत करना चाहिए । तथापि, उसके लिए क्रेता द्वारा भारतीय बीमा कंपनी से ट्रान्जिट बीमा नामित करा लेना चाहिए ताकि भारत में किसी भी स्थान या दुनिया में कहीं भी बीमा का फायदा ले सकें । उक्त मामलों में परेषण की सीमा-शुल्क निकासी की व्यवस्था क्रेता द्वारा की जाएगी ।

जहाँ भी, आवश्यकता के अनुसार देशीय तथा उसके साथ आयातित प्रस्ताव प्राप्त होते है, समय-समय पर क्रय निर्णय लेने के दौरान लोडिंग के पश्चात सीमा-शुल्क ड्यूटी तथा अन्य प्रभार, जो भी लागू हो, को टोटल लैंडेड कास्ट के आधार पर आयातित भंडार के प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जाएगा ।

6. **<u>क्रय वरीयता :-</u>**

यदि कोई केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यम प्रस्ताव प्रस्तुत करता है तो, भारत सरकार की नीति के अनुसार मूल्यांकन के समय, निजी सेक्टर एककों से प्रतिस्पर्धा करते है, तो क्रय वरीयता के लिए हकदार होंगे बशर्ते कि उनका प्रस्ताव तकनीकी रुप से उपयुक्त हो और उद्धृत किए गए मूल्य में भी भिन्नता है और 10% के अंदर न्यूनतम तकनीकी रुप से प्रस्ताव स्वीकार्य हो तथा केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यम न्यूनतम ठेकेदार से मूल्य मेल खाता हो ।

7. **<u>मूल्य वरीयता :-</u>**

यदि एन.एस.आई.सी. के पास लघु उद्योग एकक पंजीकृत है, और वह प्रस्ताव प्रस्तुत करता है तो यदि प्रस्ताव तकनीकी रुप से उपयुक्त हो तो तब वह मूल्य वरीयता के हकदार होंगे बशर्तें कि भारत सरकार की नीति के अंतर्गत मूल्यांकन के समय जब वे बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा करते हो ।

8. **<u>विदेशी आपूर्तिकर्ताओं की ओर से भारतीय एजेंट से प्राप्त प्रस्ताव :-</u>**

यदि विदेशी आपूर्तिकर्ताओं की ओर से भारतीय आपूर्तिकर्ता/ भारतीय एजेंट ठेका प्रस्तुत करता है तो ठेके के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने चाहिए, यदि ऐसा नही किया हो तो उनका प्रस्ताव अनदेखा किया जाएगा ।

(क) प्रधानों और भारतीय एजेंटों के बीच के करार की एक फोटो प्रति जिसमें प्रतिशत दर्शाया गया है या एजेंसी को भुगतान की जाने वाली कमीशन और विदेशी आपूर्तिकर्ताओं की ओर से भारतीय एजेंटों को प्राधिकृत करते हुए एक प्राधिकार पत्र ।

(ख) डीजीएस&डी या इस निदेशालय (क्रभनि) के पंजीकृत प्रमाणपत्र की एक फोटो कापी

(ग) भारतीय एजेंटों द्वारा किया गया बिक्री के बाद सेवा का प्रकार

विदेशी मुखिया/ आपूर्तिकर्ता की ओर से भारतीय एजेंटों को ठेके का मूल्य उद्धृत करने की अनुमति है ।

9. <u>जमानती जमा बैंक गारंटी</u>

यदि किसी प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है तो निविदा प्रस्ताव देने वाले को आदेश के मूल्य के 10% के लिए जमानती जमा बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी होगी जो क्रेता के प्रपत्र के अनुसार, आवश्यक गैर न्यायिक स्टैम्प पेपर पर किसी राष्ट्रीयकृत / अनुसूचित बैंक द्वारा निष्पादित होनी चाहिए, और संविदात्मक दायित्वों के संतोषजनक ढंग से पूरा होने तक वैध होनी चाहिए । यदि निविदाकर्ता डीजीएसएंडडी, एनएसआईसी अथवा इस निदेशालय में पंजीकृत है तो उसके लिए जमानती जमा से उस आर्थिक सीमा तक छूट हेतु विचार किया जा सकता है जिसके लिए वे पंजीकृत है, बशर्ते ठेकेदार का पिछला कार्य निष्पादन संतोषजनक रहा हो ।

जिन मामलों में ठेके की कीमत ऐसे पंजीकरण की आर्थिक सीमा से अधिक है उनमें ठेकेदार पंजीकृत सीमा से अधिक मूल्य के 10% के लिए जमानती जमा बैंक गारंटी प्रस्तुत करेगा।

10. <u>सशर्त छूट :</u>

यदि निविदाकर्ता एक निश्चित अवधि के अंदर प्रस्ताव स्वीकार करने अथवा निश्चित भुगतान शर्तों, सुपुर्दगी, मात्रा आदि के लिए कोई सशर्त छूट का प्रस्ताव देता है तो क्रेता उसके प्रस्ताव का मूल्यांकन करते समय ऐसी सशर्त छूट पर विचार नहीं करेगा ।

11. <u>पिछला निष्पादन :</u>

यदि किसी निविदाकर्ता का पिछला कार्य निष्पादन, मात्रा, सुपुर्दगी, वारंटी दायित्वों के बारें में या ठेके की शर्तें पूरी करने के बारे में संतोषजनक नहीं पाया गया है तो उनके प्रस्ताव क्रेता द्वारा अस्वीकार किए जा सकते है ।

12. <u>क्षमता और वित्तीय स्थिति :</u>

यदि ऐसा पाया जाता है कि निविदाकर्ता के पास आवश्यक बुनियादी ढांचा, क्षमता, योग्यता नहीं है और उसकी वित्तीय स्थिति संतोषजनक नहीं है तो ऐसे निविदा प्रस्ताव क्रेता द्वारा अस्वीकार किए जा सकते है ।

13. <u>अंतिम उपभोक्ता का विवरण :</u>

अंतिम किसी आदेश के संबंध में निर्यातक देश के नियमानुसार निर्यात परमिट, लाइसेंस, प्राधिकरण आदि की आवश्यकता पडती हो तो उसे प्राप्त करने की पूरी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी । इस बारे में क्रेता का कोई दायित्व नहीं होगा ।

जहाँ भी ठेकेदार को अंतिम उपभोक्ता का प्रमाण पत्र चाहिए वहाँ इसका उल्लेख प्रस्ताव में ही स्पष्ट रुप से करना होगा और क्रेता नीचे दिए गए प्रपत्र के अनुसार अंतिम उपभोक्ता प्रमाणपत्र देगा । इस बारे में क्रेता कोई अन्य दस्तावेज/ घोषणा नहीं देगा ।

<u>**अंतिम उपभोक्ता विवरण :**</u>

हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते है कि दिनांक..के हमारे क्रय आदेश संख्या क्रमनि / ....के अनुसार मेसर्स...से खरीदे जा रहे...माल/ मदों का उपयोग...के लिए किया जाएगा .

हम यह भी प्रमाणित करते है कि इस मद / इन मदों का उपयोग किसी रासायनिक जैविक अथवा सामूहिक संहार के हथियारों के अभिकल्पन, विकास, निर्माण अथवा परीक्षण या इससे संबंधित गतिविधियों के लिए नहीं किया जाएगा ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि हम यथा-आवश्यक संबंधित प्राधिकारियों की पूर्वानुमति लिए बिना इस मद का पुनर्निर्यात नहीं करेंगे ।

14. **गोपनीयता :-**

क्रेता द्वारा इस निविदा अथवा ठेके के संबंध में दिए गए आरेखों, विशिष्टियों, आदिप्ररूपों, नमूनों या किसी भी अन्य पत्राचार/ ब्यौरा/ सूचना आदि को ठेकेदार गुप्त रखेगा और क्रेता द्वारा पहले से दी गई लिखित सहमति के बगैर किसी व्यक्ति/ फर्म के सामने न तो प्रकट करेगा और न देगा । यह बात उप-ठेकेदारों, परामर्शदाताओं, सलाहकारों और ठेकेदार द्वारा काम पर लगाए गए कर्मचारियों पर भी लागू होगी ।

15. **परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 की धारा 18 के अधीन ''प्रतिबंधित सूचना श्रेणियाँ और सरकारी गोपनीयता अधिनियम (Official Secrets Act) 1923 की धारा 5 के अधीन सरकारी भेद'' :-**

उपरोक्त नियमों में से किसी का भी उल्लंघन करने पर ठेकेदार, उप ठेकेदार, परामर्शदाता सलाहकार और ठेकेदार के कर्मचारियों के विरुद्ध उपरोक्त कानून के अनुसार दण्डात्मक कार्रवाई की जा सकती है ।

16 **अनुमति लिए बिना, प्रचार हेतु परमाणु ऊर्जा विभाग के किसी भी संस्थान के नाम का उपयोग करने पर पाबंदी :**

क्रेता की पूर्व लिखित अनुमति के बिना ठेकेदार, उप-ठेकेदार, परामर्शदाता, सलाहकार या ठेकेदार द्वारा काम पर लगाए गए कर्मचारी परमाणु ऊर्जा विभाग के किसी भी संस्थान के नाम का उपयोग, किसी सार्वजनिक माध्यम जैसे प्रेस, रेडियो, टी.वी. अथवा इंटरनेट पर किसी प्रचार के लिए नहीं करेंगे ।

17. **क्रेता की सुरक्षा आवश्यकताओं का अनुपालन :**

ठेकेदार, क्रेता द्वारा लागू सुरक्षा नियमों और विनियमों का कड़ाई से अनुपालन करेगा और जहाँ भी क्रेता द्वारा प्राधिकृत किया जाए वहाँ क्रेता के परिसर में प्रवेश के करने के लिए आवश्यक पूर्व अनुमति लेने के लिए सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करेगा जिनमें पुलिस तथा किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा सत्यापन भी शामिल है ।

18. **आईएसआई चिह्न वाले उत्पाद :**

आईएसआई चिह्न वाले उत्पादों को वरीयता दी जाएगी । निम्नलिखित श्रेणियों के मदों के बारे में क्रेता केवल आईएसआई चिह्न वाले उत्पादों के प्रस्तावों पर ही विचार करेगा :

1. अग्निशामक उपकरण
2. भवन निर्माण सामग्री
3. पीवीसी पाइप और फिटिंग्स
4. खेती के औजार तथा छिड़काव के यंत्र
5. चिकित्सा उपकरण (जैसे सिरीज, सुइयाँ, रक्तचाप मापक यंत्र आदि)

19. **दरें अंकों और शब्दों में भी लिखी जाएं :**

निविदाकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा दी गई दरें <u>अंकों और शब्दों</u> दोनों में लिखी गई है, ऐसा न करने पर निविदाएँ अस्वीकार की जा सकती हैं ।

20. **स्थाई खाता संख्या (पैन) :**

निविदाकर्ताओं को अपनी निविदा के साथ पैन कार्ड/ पत्र की जेराक्स प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक है, ऐसा न करने पर निविदाएं अस्वीकार की जा सकती है ।

4. **उत्पाद शुल्क :-**

4. उत्पाद शुल्क के संबंध में अपने प्रस्ताव में की गई घोषणा के लिए निविदाकर्ता एकमात्र उत्तरदायी होगा और किसी भी स्तर पर उत्पाद प्राधिकारियों द्वारा किए जाने वाले किसी भी दावे/ देयता के लिए क्रेता को क्षतिपूर्ति करेगा.

4. **Excise Duty :-**

4a. The tenderer shall be solely responsible for the declaration regarding Excise Duty made in his offer and shall indemnify the purchaser from any claim/liability from the Excise authoribes at any stage.

14. **निर्यात लाइसेंस / निर्यात अनुमति**

विदेश में बनी सामग्री के लिए बोली लगाने वाले आपूर्तिकर्ताओं की यह पूरी जिम्मेदारी होगी कि वे लदान की व्यवस्था करने से पहले संबंधित सरकार से, निर्यात अनुमति/ लाइसेंस/ प्राधिकार, जो भी आवश्यक हो, प्राप्त करना सुनिश्चित करें, आपूर्ति के बाद किसी भी विदेशी एजेंसी/ प्राधिकरण द्वारा निरीक्षण इस विभाग को स्वीकार्य नहीं होगा, अतः यह आवश्यक है कि विदेशों में बनी सामग्री का प्रस्ताव देने वाले विक्रेताओं को उन देशों में निर्यात ठेके के प्रचलित नियमों की पूरी जानकारी हो. यदि अंतिम उपयोग हेतु की गई किसी घोषणा का कोई अनुवर्ती परिणाम होता है जो विक्रेता/ उनके विदेशी प्रमुखों ने सामग्री के बनाने वाले देश की सरकार/ सरकारी एजेंसियों की निर्यात अनुमति/ लाइसेंस लेते समय प्रस्तुत की हो तो उसकी पूरी जिम्मेदारी विक्रेता की होगी, क्रेता इसके लिए किसी भी प्रकार उत्तरदायी नहीं होगा. क्रेता की ठेके की शर्तों के विपरीत आपूर्ति के बाद के निरीक्षण की कोई भी शर्त निष्प्रभावी मानी जाएगी.

जहां भी ठेकेदार को अंतिम उपभोक्ता का प्रमाण पत्र चाहिए वहाँ इसका उल्लेख प्रस्ताव में ही स्पष्ट रूप से करना होगा और क्रेता नीचे दिए गए प्रपत्र के अनुसार अंतिम उपभोक्ता प्रमाण पत्र देगा । इस बारे में क्रेता कोई अन्य दस्तावेज/ घोषणा नहीं देगा ।

"अंतिम उपभोक्ता का विवरण :

हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि दिनांक .... के हमारे क्रय आदेश संख्या क्रमांक/ .... के अनुसार मेसर्स...
से खरीदे जा रहे .... माल/ मदों का उपयोग..............................
.... के लिए किया जाएगा।

हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि इस मद/ इन मदों का उपयोग किसी रासायनिक जैविक अथवा सामूहिक संहार के हथियारों के अभिकल्पन, विकास, निर्माण अथवा परीक्षण या इससे संबंधित गतिविधियों के लिए नहीं किया जाएगा।

यह प्रमाणित किया जाता है कि हम यथा-आवश्यक संबंधित प्राधिकारियों की पूर्वानुमति लिए बिना इस मद का पुनर्निर्यात नहीं करेंगे ।

14. EXPORT LICENCE / EXPORT PERMISSION :

It is entirely the responsibility of the suppliers who are quoting for materials of foreign origin to ensure obtaining export permission/licence/ authorisation as required from the respective Government before arranging shipment. This Department would not accept post supply inspection by any agency/authority of any foreign country. It is, therefore, necessary that the vendors offering materials from foreign countries shall have thorough knowledge of export contract regulations in vogue in those countries. The vendors shall indemnify the purchaser against any conseqences in respect of any end-use declaration they/their overseas Principals may furnish to the government/licence.

Agencies of the country of origin of the materials while seeking export permission/licence. Post supply inspection, contrary to the terms and conditions of purchase's contract shall be deemed to be null and void. This department reserves the right to reject any offer, which is not in conformity with the above instructions.

Whenever an End-use Certificate is desired by the contractor, the same shall be clearly mentioned in the offer and the purchaser shall provide an End-use Certificate as per the format given below. The Purchaser will not provide any other document/ declarationin this regard.

END - USER STATEMENT

We hereby certify that the item/s i. e. .... being procured from M/s. .... against our Purchase Order No. DPS/ ....
dated.......................................will be used for ....
We also certify that the item/s will not be used in designing, developing, fabricating or testing of any chemical, biological, nuclear or weapons of mass destruction or activities related to it.
It is further certified that we will not re-export this items prior to obtaining permission from the concerned authorities as may be required.

21. **ठेके की सुपुर्दगी अवधि तक आपूर्ति में विलंब होने पर ब्याज:-**

जहाँ भी ठेकेदार ने अग्रिम भुगतान मांगा हो और बराबर की धनराशि की बैंक गारंटी देने पर ठेके में यह स्वीकार किया गया हो वहाँ यदि ठेकेदार की ओर से किसी

ऐसे कारण से ठेके की सुपुर्दगी अवधि के अनुसार आपूर्ति करने में विलंब हो जाता है तो ठेके की सुपुर्दगी अवधि के बाद की अवधि लिए समायोजित की जाने वाली अग्रिम भुगतान की बकाया धनराशि में 12% ब्याज जोड़कर उगाही की जाएगी ।

21. **Interest for delay in supply beyond the contractual delivery date:**

Wherever advance payments are sought for by the contractor and admitted in the contract, against Bank Guarantee for equivalent amount, In the event of any delay in supply beyond the contractual delivery date for reasons attributable to the contractor, interest charges @ 12% shall be levied for the period beyond the contractual delivery date, on the amount of balance advance payment to be adjusted.

22. **मूल निर्माता देश :-**

यदि निविदा आयातित माल के लिए है तो प्रस्ताव में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए कि सामग्री मूलतः किस देश में निर्मित है/ बनी है ।

22. **Country of Origin :**

Wherever the tenders are for imported stores, the Country of Origin of the stores must be clearly specified in the offer.

23. **नि:शुल्क जारी सामग्री :-** (यह शर्त केवल उन ठेकों पर लागू होगी जो क्रेता के नि:शुल्क जारी सामग्री (एफआईएम) से निर्मित किए गए उपकरण कीआपूर्ति के लिए होंगे)

यदि ठेके में इस बात की व्यवस्था है कि उपकरण/ सामग्री के निर्माण हेतु क्रेता ठेकेदार को नि:शुल्क जारी सामग्री (एफआईएम) की आपूर्ति करेगा तो ऐसी नि:शुल्क जारी सामग्री की रक्षा के उपाय के रूप में ठेकेदार को अपनी लागत पर एक बीमा पॉलिसी लेकर जमा करानी होगी. यह पॉलिसी सामग्री के पूरे मूल्य की होगी और इस बीमा पॉलिसी में विशेष रूप से निम्नलिखित जोखिम शामिल होंगे और यह ठेके में निर्धारित सुपुर्दगी की तारीख से छः महीने बाद तक वैध होगी :-

1. **शामिल किए जाने वाले जोखिम :-** आग, चोरी, दंगे, सेंधमारी, हड़ताल, नागरिक हंगामे, आतंकवादी कार्य, प्राकृतिक विपदाओं आदि के कारण क्रेता की सामग्री को होने वाली हानि या क्षति.

2.	बीमा कराने वाले का नाम :	(ठेकेदार का नाम)
3.	लाभार्थी	निदेशक, क्रय और भंडार, क्रय और भंडार निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार, विक्रम साराभाई भवन, प्रथम तल, अणुशक्तिनगर, मुंबई - 400 094 के माध्यम से कार्यरत, भारत के राष्ट्रपति

4. धनराशि जिसके लिए बीमा पॉलिसी तैयार कराई जानी है : राशि का उल्लेख संबंधित ठेके में किया जाएगा.

ठेकेदार से बीमा पॉलिसी प्राप्त होने के बाद ही ठेकेदार को निःशुल्क जारी सामग्री (एफआईएम) जारी की जाएगी । ठेकेदार को अपने जोखिम और लागत पर क्रेता के परिसर से एफआईएम का संग्रह करना होगा और इसे अपने परिसर तक सुरक्षित लेकर जाना होगा ।

ठेकेदार द्वारा उपरोक्त बीमा करवाए जाने के बाद भी, ठेकेदार को क्रेता की क्षतिपूर्ति करनी होगी और जब तक इस ठेके का काम पूरा नहीं हो जाता और इसके लिए जारी की गई निःशुल्क सामग्री में से बचे हुए/ फालतू तथा स्क्रैप माल को उसके पूरे हिसाब के साथ क्रेता को विधिवत वापस नहीं लौटा दिया जाता तब तक निःशुल्क जारी की जाने वाली सामग्री के मूल्य के लिए क्षतिपूर्ति का वचन क्रेता को देना होगा. क्रेता द्वारा जारी निःशुल्क सामग्री का उपयोग ठेकेदार इस ठेके के अनुसार किए जाने वाले काम के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य के लिए नहीं करेगा और ऐसा कोई काम या लापरवाही नहीं करेगा जिससे क्रेता को किसी प्रकार की कोई हानि या क्षति हो और यदि कहीं ऐसा हो जाए तो ठेकेदार ऐसी किसी भी हानि/ नुकसान की पूरी तरह प्रतिपूर्ति/ भरपाई करने के लिए जिम्मेदार होगा. ठेकेदार के कारखाने/ कार्यस्थल पर जब निःशुल्क जारी की जाने वाली सामग्री को प्राप्त करने के बाद जब तक यह माल उसके कब्जे/ हिफाजत या अधिकार में रहता है तब तक की पूरी अवधि के लिए ठेकेदार इसकी हर प्रकार की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा. ठेकेदार के कारखाने/ कार्यस्थल पर जब निःशुल्क जारी की जाने वाली सामग्री प्राप्त होगी तब सही माल की सुरक्षित प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए वह इसका निरीक्षण करेगा. यदि प्राप्त होने वाले माल में कोई कमी या विसंगति पाई गई तो ठेकेदार माल प्राप्ति की तारीख से 5 दिन के अंदर इसकी रिपोर्ट करेगा. ठेकेदार इस बात की पूरी और पक्की व्यवस्था करेगा कि निःशुल्क जारी की जाने वाली सामग्री जब तक उसके कब्जे/ हिफाजत या नियंत्रण में रहती है तब तक किसी भी कारण से उस माल में किसी भी तरह की कोई खराबी या बरबादी न होने पाए और उसको किसी प्रकार का नुकसान या क्षति न पहुंचने पाए. ठेकेदार द्वारा निःशुल्क जारी की गई सामग्री का नियमित अंतराल पर समय- समय पर निरीक्षण किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि माल को सुरक्षित और सही ढंग से रखा गया है. ठेकेदार इस माल के वास्तविक उपयोग का पूरा और सही- सही हिसाब देगा क्रय आदेश के अनुसार बनाए जाने वाले अंतिम उत्पाद के साथ और बचे हुए माल और स्क्रैप को भी लौटाएगा और यदि क्रय आदेश में लिखी सुपुर्दगी अवधि के एक माह के अंदर ऐसा करना संभव नहीं होता है तो भी ठेकेदार ऐसे बचे हुए/ स्क्रैप माल को किसी अन्य सामान के साथ मिलने नहीं देगा. यदि निःशुल्क जारी की गई सामग्री को किसी प्रकार का नुकसान या हानि होती है तो उसकी वास्तविक कीमत और बीमा कंपनी द्वारा क्रेता के दावे पर किए गए भुगतान के अंतर की प्रतिपूर्ति/ भरपाई करके ठेकेदार क्रेता की क्षतिपूर्ति करेगा ठेकेदार को जारी की गई निःशुल्क सामग्री जब उसके कब्जे/ हिफाजत नियंत्रण में थी तब किसी भी कारण से होने वाली किसी भी हानि नुकसान बरबादी या उसमें कोई खराबी आने और इसके कारण सरकार को होने वाले नुकसान की मात्रा के बारे में भी परमाणु ऊर्जा विभाग, मुंबई के क्रय और भंडार निदेशालय के निदेशक, क्रय और भंडार का निर्णय अंतिम और ठेकेदार के लिए बंधनकारी होगा.

23 FREE ISSUE MATERIAL : *(This clause shall apply only to contracts for supply of fabricated equipment with purchaser's Free Issue Materials (FIM)*

Wherever contracts envisage supply of Free Issue Material (FIM) by the Purchaser to the Contractor for fabrication of the contracted equipment/stores, such Free Issue Material shall be safeguarded by an insurance policy to be provided by the Contractor at his own cost for the full value of such materials and the insurance policy shall cover the following risks specifically and shall be valid for six months beyond the contractual delivery date :

1. RISKS TO BE COVERED: Any loss or damage to the Purchaser's materials due to fire, theft, riot, burglary, strike, civil, commotion, terrorist act, natural calamities etc. and any loss or damage arising out of any other causes such as other materials falling on purchaser's materials.

2.	INSURED BY	(Name of the Contractor)
3.	BENEFICIARY	The President of India, acting through The Director, Purchase & Stores, Directorate of Purchase & Stores, Department of Atomic Energy, Government of India, Vikram Sarabhai Bhavan, 1st Floor, Anushaktinagar, Mumbai - 400 094.
4.	AMOUNT FOR WHICH INSURANCE POLICY TO BE FURNISHED	The amount will be indicated in the respective contract.

Free Issue Material (FIM) will be issued to the Contractor only after receipt of the Insurance Policy from the Contractor. The contractor shall arrange collection of the FIM from the Purchaser's premises and safe transportation of the same to his premises at his risk and cost.

Notwithstanding the insurance cover taken out by the Contractor as above, the Contractor shall indemnify the Purchaser and keep the Purchaser cover indemnified to the extent of the value of free issue materials to be issued till such time the entire contract is executed and proper account for the free issue materials is rendered and the left over/surplus and scrap items are returned to the Purchaser. The contractor shall not utilize the Purchaser's free issue materials for any job other than the one contracted out in this case and also not indulge in any act, commission or negligence which will cause/result in any loss/damage to the Purchaser and in which case, the Contractor shall be liable to the Purchaser to pay compensation to the full extent of damage/loss. The contractor, shall be responsible for the safety of the free issue materials after these are received by them and all throughout the period during which the materials remain in their possession/control/custody. The free issue materials on receipt at the Contractor's work shall be inspected by them for ensuring safe and correct receipt of the material. The Contractor shall report the discrepancies; if any, to the Purchaser within 5 days from the date of receipt of the material. The Contractor shall take all necessary precautions against any loss, deterioration damage or destruction of the FIMs from whatever cause arising whilst the said materials remain in their possession/custody or control. The free issue materials shall be inspected periodically at regular intervals by the Contractor for ensuring safe preservation and storage. The Contractor, shall also not mix up the materials in question with any other goods and shall render true and proper account of the materials actually used and return balance remaining unused material on hand and scrap along with the final product and if it is not possible within a period of one month from the date of delivery of the final product covered by this purchase order. The contractor, shall also indemnify the purchaser to compensate the difference in cost between the actual cost of the free issue material lost/damaged and the claim settled to the Purchaser by the insurance company. The decision of the Director, Purchase & Stores, DPS, Department of Atomic Energy, Mumbai, as to whether the Contractor has caused any loss, destruction, damage or deterioration of the free issue materials while in his possession, custody or control from whatever cause arising and also on the quantum of damage suffered by the government, shall be final and binding upon the Contractor.

24. प्रपत्र सं. क्रभनि/ पी/ 11 तथा प्रपत्र सं. क्रभनि/ पी/ 12 FORM NO. DPS/P/11&FORM NO. DPS/P/12

प्रपत्र सं. क्रभनि पी-11 के पृष्ठ सं. 6 पर धारा 10 (iii) और क्रभनि पी- 12 के पृष्ठ सं. 10 पर धारा 2. 10. 4 में दिए गए शब्दों "बशर्ते कि पुनर्खरीद अथवा यदि पुनर्खरीद के लिए कोई करार है तो ऐसा करार, इस प्रकार की असफलता की तारीख से छः महीने के अंदर किया गया हो" को **"बशर्ते कि पुनर्खरीद अथवा यदि पुनर्खरीद के लिए कोई करार है तो ऐसा करार, इस प्रकार की असफलता की तिथि से समुचित / औचित्यपूर्ण अवधि के अंदर किया गया हो यह खरीद के स्वरूप/ प्रकृति पर निर्भर करेगी"** के रूप में संशोधित कर दिया गया है

The words *'provided that the repurchase, or if there is an agreement to repurchase then such agreement, is made within six months of the date of such failure'* appearing in Clause 10 (iii) on page 6 of Form No. DPS P-11 and in clause 2. 10.4 on Page 10 of DPS P-12 stands amended as **"provided that the repurchase, or if there is an agreement to repurchase then such agreement, is made within a reasonable period from the date of such failure, depending upon the nature/merit of the purchase"**